

५१

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राज०, जयपुर

नेहरु सहकार भवन, 219-220, द्वितीय तल, भवानी सिंह रोड जयपुर


क्रमांक : एफ-2(9) अ.स.निदे./ कन्या छात्रावास संचालन / 2010-11/३६७६ दिनांक : ३०/२/११

कार्यालय आदेश

राजकीय महाविद्यालय महिला छात्रावास संचालन नियम- 2010 में अभिवृद्धि

प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात् एवं वक्फ राजस्थान सरकार, जयपुर के क्रमांक 3251 दिनांक 14.02.2011 के द्वारा राजकीय महाविद्यालय महिला छात्रावास संचालन नियम 2010 में वर्णित भाग 1 के नियम 3 में निम्न अभिवर्धन किया जाता है :-

“ नियम 3 के बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 के अनुसार यदि छात्रावास में रिक्त स्थान रहता है तो कक्षा 12 वीं पास छात्राएं यदि किसी प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से आई.आई.टी., इंजिनियरिंग, मेडिकल तथा मैनेजमेन्ट कोर्स या अन्य उच्च तकनीकी कोर्स के लिए कोचिंग के निरंतर अध्ययनरत हैं तो ऐसी छात्राओं के प्रवेश पर भी तत्पश्चात् प्रवेश कमेटी विचार कर सकेगी ”।


प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : एफ-2(9) अ.स.निदे./ कन्या छात्रावास संचालन / 2010-11/३६७७ -३७१५ दिनांक : ३०/२/११,
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, राज०, जयपुर।
2. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
3. सचिव, अंजुमन तालिमुल मुस्लिमीन संस्था, मुस्लिम गर्ल्स स्कूल, घाटगेट, जयपुर।
4. सचिव, कोटा शिक्षण संस्थान, कोटा।
5. सचिव, अजमेर, वाई.एम.सी.ए., अजमेर।
6. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव